भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 848
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

लंबित मामलों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

848. सुश्री महुआ मोइत्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने और इस प्रक्रिया का प्रायोगिक परीक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों, जैसे बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग, तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं । ऐसे कई कारक हैं, जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैक करने और सुनवाई के लिए समूह बनाने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित हैं ।

जहां तक तकनीकी हस्तक्षेप का संबंध है, ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अधीन, सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने और एक "स्मार्ट" प्रणाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्री में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच होगी । एक स्मार्ट प्रणाली बनाने के लिए, ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (आईए) और इसके उपसमूह मशीन लर्निंग (एमसल), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), आदि जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है । आईए का उपयोग बुद्धिमान शेड्यूलिंग, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), स्वचालित फाइलिंग, केस सूचना प्रणाली को बढ़ाने, चैटबॉट और अनुवाद के माध्यम से वादियों के साथ संवाद करने जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है ।

सरकार ने ई-न्यायालय चरण 3 के कार्यान्वयन के लिए 7210 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जिसमें 24 परियोजना घटक हैं । इन 24 परियोजना घटकों में से एक घटक भविष्य की तकनीकी

उन्नति (एआई, ब्लॉक चेन, आदि) है । ई-न्यायालय चरण 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, 2027 तक संपूर्ण भारत के उच्च न्यायालयों के लिए, इस घटक के लिए 53.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

*****